आज ही के दिन 1933 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समूह से बाहर आने की घोषणा की थी।

ताड़का वध के दृश्य ने श्रद्धालुओं को किया रोमांचित

- श्री आदर्श रामलीला ट्रस्ट राजपुर में हुआ दूसरे दिन का मंचन

भास्कर समाचार सेवा

रामलीला महोत्सव में ताड़का वध का मंचन करते कलाकार।

देहरादून। श्री आदर्श रामलीला ट्रस्ट राजपुर द्वारा 77वें महोत्सव 2026 के दूसरे दिन ताड़का वध के रोमांचकारी दृश्य ने सभी श्रद्धालु दर्शकों के हृदय में अत्यंत रोमांच भर दिया। महर्षि विश्वामित्र के साथ कुमार राम और लक्ष्मण ने सुभाहू का वध कर मारीच को भागने पर विवश कर दिया।

भयानक राक्षसी ताड़का के वध के बाद गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर वनों में साधु संतों, ऋषि मुनियों को सुरक्षित निर्विघ्न पूर्वक यज्ञ हवन जप-तप करने की सुविधा प्रदान की। राम लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र के साथ मार्ग में चलते हुए राम का एक पांव एक शीला से टकराया राम के चरण शिला से टकराते ही वह शिला नारी बन गई जिसके विषय में महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि यह शिला शिला नहीं वरन यह गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या है जो श्रापवश पत्थर की शिला हो गई और इसका उधार श्री राम ने किया। जिसके लिए देवी अहिल्या ने प्रभु राम का हार्दिक धन्यवाद किया। तभी जनकपुर से गुरु ऋषि विश्वामित्र मित्र के पास निमंत्रण आया। जनक पुत्री सीता के स्वयंवर का निमंत्रण प्राप्त कर ने राम और लक्ष्मण को अपने साथ जनकपुर ले जाने की तैयारी की। जनक पुरी में राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र तथा कुमार राम और लक्ष्मण का भव्य स्वागत किया। दूसरे दिन के श्रीराम लीला महोत्सव राजपुर में श्रीराम लीला कला समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी शोभित मांगलिक तथा अन्य पदाधिकारियों का प्रधान योगेश अग्रवाल ने स्वागत किया। समारोह में संरक्षक जयभगवान साहू, प्रधान योगेश अग्रवाल, उप प्रधान संजीव गर्ग, नरेंद्र अग्रवाल, अजय गोयल, ब्रह्म प्रकाश वेदवाल, डायरेक्टर चरण सिंह, वेदप्रकाश साहू, अमन अग्रवाल, करण कन्नौजिया, करण सिंह आदि मौजूद रहे।

वसुंधरा ताल में पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना कर लौटा वैज्ञानिक दल

- अब ग्लेशियल झील के जलस्तर, भू-गतिविधियों की निगरानी में मिलेगी मदद

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौषिक के निर्देश पर ग्लेशियल झीलों से उत्पन्न संभावित ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के खतरों की निगरानी एवं समय रहते चेतावनी जारी करने की दिशा में उत्तराखंड को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। चमोली जनपद स्थित वसुंधरा ताल में पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए गया वैज्ञानिक एवं तकनीकी दल अपना अभियान पूरा कर वापस लौट आया है।

मंगलवार को यूएसडीएमए में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने दल का स्वागत किया। उच्च हिमालयी क्षेत्र की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच दल द्वारा झील एवं उसके आसपास विभिन्न अत्याधुनिक सेंसर स्थापित किए गए हैं।

राज्य में पहली बार किसी ग्लेशियल झील में इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित किए जाने से हिमालयी क्षेत्रों में आपदा जोखिम की वैज्ञानिक निगरानी को नई मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वसुंधरा ताल में पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना के प्रथम चरण की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में ग्लेशियल झीलों से उत्पन्न संभावित खतरों की समय रहते पहचान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वसुंधरा ताल में स्थापित की गई यह प्रणाली उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जोखिमों की निगरानी, चेतावनी तथा संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से आपदा प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। वहीं आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि वसुंधरा ताल में पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना उत्तराखण्ड में ग्लेशियल झीलों की निगरानी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण अभियान को सफल बनाने वाले वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों एवं सहयोगी सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना की। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि वसुंधरा ताल में पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना राज्य की आपदा पूर्व तैयारी को तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टि से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वसुंधरा ताल में पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का अभियान संचालित किया गया। अभियान में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), रुड़की तथा वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि उच्च हिमालयी क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में उपकरणों की स्थापना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे वैज्ञानिक दल ने समर्पण, तकनीकी दक्षता और आपसी समन्वय से पूरा किया। इस अवसर पर प्रो. आर प्रदीप कुमार, निदेशक सीबीआरआई, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, यूएलएमएमसी के निदेशक डॉ. शांतनु सरकार, वैज्ञानिक डॉ. डीपी कानूनगो, डॉ. एसके पाणीग्रही, डॉ. कौशिक पंडित, चंद्रभान पटेल, कांतिलाल सोलंकी, डॉ. राजेश कुमार दास, अजीत सिंह गहरवार, आदित्य भगत आदि मौजूद रहे।

दून क्लब स्थित हांडी रेस्टोरेंट को कराया गया बंद

सड़ी-गली खाद्य सामग्री, कॉकरोच एवं चूहों की मौजूदगी और बदहाल स्वच्छता व्यवस्था उजागर

भास्कर समाचार सेवा

दून क्लब स्थित हांडी रेस्टोरेंट का निरीक्षण करती सीमा डुंगराकोटी।

देहरादून। आमजन को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने के उद्देश्य से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीमा डुंगराकोटी एवं खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने मंगलवार को न्यू सर्वे रोड़ स्थित दून क्लब के हांडी रेस्टोरेंट का आकस्मिक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान रसोईघर, फ्रीजर, खाद्य सामग्री के भंडारण स्थलों, बर्तन धुलाई क्षेत्र एवं स्टोर रूम में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। सड़ी-गली सब्जियों, बासी खाद्य सामग्री, अत्यधिक गंदगी तथा कॉकरोच एवं चूहों की मौजूदगी को देखते हुए रेस्टोरेंट को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया तथा 14 दिन का इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया तथा रेस्टोरेंट स्वामी अभय सिंह नेगी को निरीक्षण टीम की ओर से कड़े निर्देश दिए गए। संयुक्त निरीक्षण दल में कपिल देव वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी मसूरी, मनीष सयाना अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा तथा रमेश सिंह, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल रहे। मौके पर दून क्लब के अध्यक्ष मनोज सूरी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान फ्रीजर में फूलगोभी, मूली, शिमला मिर्च, पत्तागोभी एवं आलू सहित विभिन्न सब्जियां सड़ी-गली अवस्था में मिलीं।

लगभग दो दिन पुराने चावल, दो से तीन दिन पुराना गूंथा हुआ आटा तथा लगभग एक सप्ताह पुरानी मोमोज एवं चाउमीन सामग्री भी पाई गई। खाद्य पदार्थ खुले बर्तनों में रखे हुए थे। रसोईघर एवं मसाला भंडारण की अलमारी में कॉकरोच और चूहे पाए गए तथा मसालों की कई थैलियां चूहों द्वारा कुतरी हुई मिलीं। स्टोर रूम में भी चूहों की मौजूदगी पाई गई। बर्तन धुलाई क्षेत्र में अत्यधिक गंदगी, तीन से चार दिन पुराने जूठे बर्तन एवं जमा कूड़ा-कचरा मिला। नालियां जाम अवस्था में थीं तथा ड्रेनेज सिस्टम भी खराब पाया गया।

कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं मिले। पेस्ट कंट्रोल कराए जाने के प्रमाण तथा उपयोग किए जा रहे पानी की वॉटर टेस्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई। रेस्टोरेंट के पनीर, दूध एवं डीप फ्रीजर में रखे तैयार चिकन करी के नमूने जांच हेतु लिए गए। वहीं, मौके पर 5 किलोग्राम बासी चावल, 15 किलोग्राम सब्जियां, दो किलोग्राम मोमोज एवं बासी चिकन करी को नष्ट कराया गया। नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

डीपीडीपी एक्ट से आरटीआइ की प्रभावशीलता पर उठे सवाल

देहरादून। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपी एक्ट) से सूचना के अधिकार की प्रभावशीलता पर क्या असर पड़ा है? इस विषय पर आरटीआइ क्लब की वाद-विवाद प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने तर्कपूर्ण विचार रखे। साथ ही निजता के अधिकार, जनहित की सूचनाओं तक पहुंच, सरकारी पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मुद्दे उठे।निर्णायक मंडल में पूर्व सूचना आयुक्त योगेश भट्ट, अमर सिंह घूमता, डा. बीपी मैथाणी और यज्ञभूषण शर्मा शामिल रहे। क्लब के संरक्षक डा. एस फारूक ने विजेताओं को पुरस्कार दिए।

नाम परिवर्तन

मेरे सैनिक अभिलेखो में मेरी पत्नी का नाम मीना गुरूंग (Meena Gurung) एंव जन्म तिथि 13/12/1959 गलत दर्ज हो गई है, जबकि मेरी पत्नी का सही नाम मीना देवी गुरूंग (Meena Devi Gurung) एवं सही जन्मतिथि 13/12/1949 है। जो मेरी पत्नी के आधार कार्ड नंबर 3503 6332 1415, पैन कार्ड नंबर AJWPG0636K, और उत्तर प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा, 1967 अनुक्रमांक 11856 में भी दर्ज है। आर्मी नंबरः IC-31751H Lt Col Nar Bahadur Gurung (Retd) पुत्र स्वर्गीय श्री गंगा राम गुरूंग (Lat. Shri Ganga Ram Gurung) निवासी 16/2 जाखन, वसन्धुरा एन्क्लेव, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248001

सूचना

मैं, आर्मी न०- 4084226M, रैंक- EX L/NK, नाम- PADMENDRA SINGH, पता- गाँव रायपुर खादर, पोस्ट ऑफिस- रांझावाला, देहरादून, उत्तराखंड के सैन्य अभिलेखों में मेरे पुत्र का नाम ASHUTOSH व मेरी पुत्री का नाम MUSHKAN RAWAT दर्ज है जो की गलत है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम ASHUTOSH RAWAT व मेरी पुत्री का सही नाम MUSKAN RAWAT है, जोकि अन्य सभी प्रमाण पत्र में दर्ज है जिसे मैं अपने सैन्य अभिलेखों में परिवर्तन कराना चाहता हूँ। जिसको कोर्ट देहरादून से जारी शपथ पत्र IN-UK03934113411648Y एवं नोटरी द्वारा दिनांक 13-10-2026 को प्रमाणित एवं सत्यापित किया गया है।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विलियम सिंह (Viliyam singh) है। जो आधार कार्ड और पेन कार्ड में ठीक प्रकाशित है। परंतु मेरी कार की आरसी नंबर यूके 03 बी 0930 में यह नाम William singh प्रकाशित हो गया है। उक्त नाम को Viliyam singh पढ़ा और लिखा जाय।

Villyam singh s/o Raggan lal,
sarki tola Lohaghat uttarak-hand, 262524.

सार्वजनिक सूचना

सूचित किया जाता है कि सम्पत्ति मौजा आकेडिया ग्रान्ट में खसरा सं. 235मिन. रकबा 135 वर्गगज अर्थात 3 बिसवा में निर्मित है जिसकी मालिक स्वामी, काबिज है जिसमें अपनी आराध्य कुल देवी धारीदेवी एवं कुल नागदेवता का मंदिर तथा एक कमरा, शौचालय व रसोईघर निर्मित है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर के नाम से अवैध रुप से चन्दा एकत्रित किया जाता है जिसमें प्रार्थीनी से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा न ही प्रार्थीनी की कोई जिम्मेदारी है।

प्रार्थीनी
श्रीमती मधु देवी पत्नी स्व. धीरज सिंह
निवासी- माजरा चन्द्र ग्राम,
आरकेडिया ग्रान्ट, देहरादून

मेरे पुत्र का नाम स्कूल के दस्तावजों में भूलवश हर्षवर्धन काला (HARSHVARDHAN KALA) दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का सही नाम वंश काला (VANSH KALA) है। हर्षवर्धन काला (HARSHVARDHAN KALA) एंव वंश काला (VANSH KALA) दोनों नाम मेरे ही पुत्र के है। भविष्य में मेरे पुत्र को वंश काला (VANSH KALA) के नाम से जाना व पहचाना जाये। विजय कुमार काला पुत्र श्री मदन मोहन काला, **निवासी**— जी0—302, ब्लॉक—जी, ऋषभ टावर, जर्स कंट्री, ज्वालापुर, ज्वालापुर टाउन, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड—249407

नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडेय की सख्ती

- 18 अनुबंधित वाहन हटाने के निर्देश, डेढ़ करोड़ तक की होगी बचत

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। नगर निगम देहरादून में अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने के लिए नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडेय ने सख्त रुख अपनाया है। निगम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उपयोग के लिए अनुबंध पर संचालित 31 वाहनों में से 18 वाहनों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस निर्णय से नगर निगम को सालाना लगभग डेढ़ करोड़ रुपये तक की बचत होने की संभावना है।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक खर्चों की समीक्षा कर अनावश्यक व्यय में कटौती की जाएगी, ताकि सार्वजनिक धन का सदुपयोग सुनिश्चित करने के साथ ही शहर की स्वच्छता, सफाई व्यवस्था, जनसुविधाओं और विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडेय की अध्यक्षता में मंगलवार को नगर निगम परिसर में आयोजित बैठक में अनुबंधित वाहनों की व्यवस्था और उन पर होने वाले खर्च की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान वाहनों की आवश्यकता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उनकी संख्या कम करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत वर्तमान में संचालित 31 अनुबंधित वाहनों में से 18 वाहनों को हटाया जाएगा। इस कदम से निगम के नियमित प्रशासनिक खर्च में कमी आएगी और वित्तीय संसाधनों पर पड़ने वाला अतिरिक्त भार कम करने में मदद मिलेगी। नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडेय ने कहा कि नगर निगम की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और किफायती बनाने के लिए प्रशासनिक व्यय की नियमित समीक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से होने वाली संभावित बचत नगर निगम के वित्तीय प्रबंधन को मजबूती प्रदान करेगी। उपलब्ध बजट का उपयोग शहर की आवश्यकताओं और जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए किया जा सकेगा बैठक में उप नगर आयुक्त तनवीर मारवाह, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आनंद शुक्ला सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

आरोपी सांसद पर कार्रवाई के बजाय कांग्रेस की चुप्पी शर्मनाकः भाजपा

- यौन शोषण आरोपी को संरक्षण राजनैतिक पाखंड उजागर : चौहान

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने यौन शोषण के आरोपी सांसद पर कार्रवाई के बजाय कांग्रेस की चुप्पी को शर्मनाक बताया है।

चौहान ने कहा कि राज्य कांग्रेस नेताओं को झूठे मुद्दे पर मौन उपवास रखने के बजाय राहुल प्रियंका के सामने विरोध की आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया की वह क्यों मेघावी छात्राओं के शोषण करने वाले सांसद को बचा रहे हैं? महिला पुलिसकर्मियों के साथ राहुल प्रियंका अभद्रता कर रहे हैं और लखनऊ में अपनी पार्टी की नेत्री को जूते से पीटने की कोशिश होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस नेता नेताओं महिला अपराधों को लेकर मौन उपवास पर बैठने की नही, बल्कि दिल्ली जाकर अपने आलाकमान के सामने विरोध की आवाज उठाने की जरूरत है। उन्हें कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी से सवाल पूछना चाहिए कि जेएनयू में 11 मेघावी छात्रों के साथ यौन शोषण के आरोपी कांग्रेस सांसद पर कब कार्रवाई करेंगे? प्रियंका गांधी को बताना चाहिए, उस महिला पुलिस अधिकारी की क्या गलती थी जिसे उन्होंने कोहनी मारी? वहीं राहुल गांधी को बताना चाहिए कि महिला पुलिसकर्मी के साथ की गई बदतमीजी के लिए वे कब माफी मांगेंगे।

खोया-पाया

मेरे मूल विक्रय विलेख दिनांक 24 मई 2013 क्षेत्रफल 167.28 जो कि उप निबंधक कार्यालय ऋषिकेश में पंजीकृत है जिसका खसरा नं0 3923ख मि0 है का शुद्धि पत्र विलेख जिसका बही संख्या 1 जिल्द 6452 पृष्ठ संख्या 131 से 148 क्रमांक 8688 दिनांक 9 सितम्बर 2012 को उप निबंधक कार्यालय ऋषिकेश में पंजीकृत है वास्तव में कहीं खो गया है। मिले तो संपर्क करेंः- गरिमा त्यागी पत्नी श्री नीरज त्यागी निवासी- माजरी ग्रान्ट, लाल तप्पड़ देहरादून। मो0न0- 9719755100

प्रारूप संख्या यूआरसी—2

अध्याय 21 के भाग 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की सूचना का विज्ञापन (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 374 (ख) और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत नियम, 2014 के नियम 2 के अनुसरण में)

1— सूचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में एक आवेदन 15 दिनों के बाद और 30 दिनों की समाप्ति से पहले, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (CRC), इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ कॉरपोरेट अफेयर्स (IICA), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सेक्टर—5, आईएमटी मानेसर, जिला गुरुग्राम, हरियाणा—122050 स्थित रजिस्ट्रार के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है कि

'भारत कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज' एक साझेदारी फर्म (डिलीट) कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग। के तहत पंजीकृत हो सकती है, कंपनी द्वारा शेयरों के रूप में सीमित।

2— कंपनी के मूल उद्देश्य इस प्रकार हैं :—
चावल, धान, राइस पॉलिश, राइस ब्रान, राइस हस्क एवम संबंधित वस्तुओं का व्यापार तथा उससे संबंधित अन्य सहायक गतिविधियां करना।

3— प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम ज्ञापन और अनुच्छेद ज्ञापन की प्रतिलिपि, किच्छा रोड, सितारगंज, जनपद ऊधम सिंह नगर, स्थित कार्यालय में देखी जा सकती है।

4—सूचना दी जाती है यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपत्ति है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 20 दिन के भीतर रजिस्ट्रार केंद्र (CRC), इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ कॉरपोरेट अफेयर्स (IICA), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सेक्टर—5, आईएमटी मानेसर, जिला गुरुग्राम, हरियाणा—122050 स्थित कार्यालय को भेजेगा तथा उसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को भी भेजेगा।

दिनांक — 14 अक्टूबर 2026
आवेदकों के नाम :—
1—निर्मला शैली
2— कमला रानी
3—राजेश शैली

सूचना

सूचित है कि रीतू पत्नी अनिल कुमार पुत्री भजन लाल निवासी वार्ड नं. 6 जगतपुर तहसील रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर के नाम एक खसरा नं. 253 अमिन, रकवा 139.40 वर्ग मीटर वाक्या लालपुर तहसील रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर में स्थित है प्रार्थीनी ने उक्त सम्पति निर्मला कक्कड़ से जरिये रजिस्ट्री बैनामा क्रमाक सं. 145 दिनांक 06.01.2023 को क्रय किया गया है इससे सम्बधित पुराना मूल बैनामा जो हुकुम चन्द्र ने निर्मला कक्कड़ के हक में किया था जो बही सं. 1, जिल्द नं. 386, पृष्ठ 663 से 668 पर क्रमांक सं. 121 दिनांक 17.06.2007 को पंजीकृत हुआ जिसकी मूल प्रतिं प्रार्थीनी को प्राप्त थीं। जो वास्तव में खो गया हैं जिनका प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध होगा, यदि किसी बैंक / संस्था आदि को आपत्ति हो या उक्त बैनामा किसी को मिले तो वह 7 दिन के अन्दर शाखा प्रबंधक, वंडर होम फाइनेंस लि. काशीपुर मो. 9568334295 को सूचित करें, या विरेन्द्र सिंह कण्डारी एडवोकेट ऐरन प्लाजा ऑफिस नं. 3 प्रथम तल निकट सरस्वती शिशु मन्दिर इण्टर कॉलेज कल्याणी व्यू रोड रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर मो. नं. 7417411110 पर सम्पर्क करें।

कार्यालय अपर प्रबन्ध निदेशक, भारतीय को-ऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लि. उत्तराखण्ड

(राजकीय निर्माण एजेन्सी)
317/151/6 दून विहार, लेन नं. 03, प्रथम तल, निकट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जाखन, देहरादून
फोन नं. - +91-1353171718, ईमेल- bcgvnl.uni@gmail.com

पत्रांक संख्या- 1043/भा.को.ग्रा.वि.नि.लि./निविदा/2026-27 दिनांक : 13.10.2026

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

अपर प्रबन्धन निदेशक, भारतीय को-ऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लि. उत्तराखण्ड की ओर से, निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 14.10.2026 को 10.00 बजे पूर्वान्ह से 27.10.2026 सायं 5.00 बजे तक कार्यालय से प्राप्त कर, दिनांक 28.10.2026 को अपरान्ह 1.00 बजे तक कार्यालय में जमा की जा सकती है। निविदा दिनांक 28.10.2026 सायं 03.00 बजे अधोहस्ताक्षरित के कार्यालय में गठित निविदा समिति द्वारा खोली जाएगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	धरोहर राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
1.	कम्पनी गार्डन से लेकर कॉलोनी तक सी.सी. रोड का निर्माण कार्य।	40,000/-	03 माह	भा.को.ग्रा.वि.नि.लि. उत्तराखण्ड, देहरादून में पंजीकृत डी एवं उच्चतर श्रेणी ठेकेदार
2.	बासागाड़ में आंतरिक गलियों में सी.सी. रोड का निर्माण कार्य।	42,000/-	03 माह	
3.	छसखेत चौक से लेकर मोहर सिंह के घर तक सी.सी. रोड का निर्माण कार्य।	42,000/-	03 माह	
4.	छसखेत चौक में आंतरिक गलियों का सी.सी. रोड का निर्माण कार्य	42,000/-	03 माह	

* अन्य शर्ते निविदा प्रपत्रों के साथ देखी जा सकेंगी।
* अपर प्रबन्ध निदेशक, भा.को.ग्रा.वि.नि.लि. उत्तराखण्ड, देहरादून के पास किसी भी दशा में निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रहेगा, जिसकी सूचना कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
भारतीय को-ऑपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लि. उत्तराखण्ड

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

कॉर्पोरेट कार्यालयः नंबर 167-169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015, और **शाखा कार्यालयः** ए.के. टावर, दूसरी मंजिल, 56 सुभाष रोड, देहरादून 248001. **संपर्क विवरणः जेडआरएमः श्री राकेश गुप्ता** 9873925255 | **आरएलएमः श्री ब्रजेश अवस्थी** 9918301885 | आरआरएमः श्री हरीश यादव 7060411785. **ईमेलः Auction@hindujahousingfinance.com**

HINDUJA HOUSING FINANCE

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना
नियम 8(8) और 9(1) के प्रावधान के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत एचएचएफएल को गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री।

हस्ताक्षरकर्ता, HHFL के अधिंत अधिकारी के रूप में, ने SARFAESI अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत अनुसूची में वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में वर्णित सुरक्षित संपत्ति ~~भ्भ्श्र~~ के लिए स्वीकार्य शर्तों पर, उसके बकाया की वसूली हेतु, निजी संधि/सार्वजनिक ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध है, और यह **"जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" तथा "जो कुछ भी है"** के आधार पर होगी। मानक नियम एवं शर्तेः 1. बिक्री सख्ती से "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर की जाएगी। 2. क्रेता को आवेदन और केवाईसी दस्तावेजों के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा। इसे स्वींति पर देय 25% जमा राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 3. एचएचएफएल द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर, क्रेता को अगले कार्य दिवस तक विक्रय प्रतिफल का 25% (प्रारंभिक 10% सहित) जमा करना होगा। 4. बिक्री प्रतिफल का शेष 75% भुगतान बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। 5. निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रारंभिक 10% सहित सभी जमा राशि स्वतः जब्त हो जाएगी और संपत्ति को बिना किसी पूर्व सूचना के दोबारा बेचा जा सकता है। 6. यदि एचएचएफएल प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है, तो प्रारंभिक 10% जमा बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। 7. 50,00,000/- रुपये से अधिक की बोली के लिए सफल खरीदार को आयकर अधिनियम की धारा 194-आईए के तहत 1% टीडीएस जमा करना होगा। 8. संपत्ति सभी विद्यमान और भावी भारों सहित बेची जाती है, चाहे वे HHFL को ज्ञात हों या अज्ञात। HHFL किसी भी तृतीय पक्ष के दावों, अधिकारों या वैधानिक देयों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 9. क्रेता को संपत्ति के सभी पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से समुचित जांच-पड़ताल करनी होगी। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। 10. HHFL बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने या नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 11. नीलामी/बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" के माध्यम से वेबसाइट www.bankeauctions.com या सेवा प्रदाता M/s C1 India Pvt. Ltd. द्वारा प्रदान की गई नीलामी के माध्यम से ही की जाएगी। 12. बोलीदाता अपने पसंदीदा स्थान से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सुरक्षित ऋणदाता/सेवा प्रदाता किसी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। 13. ई-नीलामी से संबंधित किसी भी विवरण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता M/s C1 India Pvt. Ltd. से संपर्क कर सकते हैं, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नं. 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122003 में स्थित है (संपर्क व्यक्तिः श्री मिथलेश कुमार, मोबाइल नं. 7080804466, ईमेलः delhi@c1india.com, ईमेलः tn@c1india.com, Prabhakaran.Malaichamy@c1india.com तथा सहायता (हेल्पलाइन) मोबाइल नं. +91-7291981124/25/26, सहायता ईमेल- Support@bankeauction.com. 14. ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर पहले ही पंजीकृत कराना होगा और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त होने पर तुरंत उसे बदल लें। 15. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को रिफंडेबल अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) जमा करना होगा यानी आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर बताया गया है) इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा "हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से देय होगा। 16. इच्छुक पक्ष विवरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं तथा 29.10.2026 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व प्रस्ताव, ईएमडी तथा केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। 17. सफल नीलामी क्रेता बंधक संपत्ति से संबंधित सभी स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, कर तथा अन्य वैधानिक व्यय वहन करेगा। 18. नवीनतम न्यायिक आदेशों के अनुसार, सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं का मोचन का अधिकार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख पर समाप्त हो जाएगा। 19. बिक्री सरफेसी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

अनुसूची

ऋण संख्याः (UT/UTK/DHON/A000000363) **उधारकर्ता का नामः** **1. श्री वकील अहमद, 2 श्रीमती फैमिदा बानो**	**बकाया राशिः रु. 14,16,161/- (रुपये चौदह लाख सोलह हजार एक सौ इकसठ मात्र) दिनांक 30.03.2022 तक। आरक्षित मूल्यः रु. 6,00,000/- (रुपये छह लाख मात्र)** **ईएमडीः रु. 60,000/-**
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 29.10.2026 को 1700 बजे तक। ई-नीलामी की तिथिःसमयः 30.10.2026, 1100 बजे-1300 बजे। बोली वृद्धि राशिः रु. 10,000/-	

संपत्ति का विवरण (सुरक्षित परिसंपत्ति): संपत्ति खातौनी संख्या 522, खसरा संख्या 257, क्षेत्रफल 44.60 वर्ग मीटर, स्थित मौजा सेवला खुर्द, परगना पचवादून, तहसील एवं जिला देहरादून, उत्तराखंड। पूर्वः 12 फीट चौड़ी सड़क, साइड माप 15 फीट, पश्चिमरू सोनू कुमार की भूमि, साइड माप 15 फीट, उत्तरः अन्य की भूमि, साइड माप 33 फीट। दक्षिणः रीना देवी की संपत्ति, साइड माप 31 फीट।

दिनांकः 14/10/2026 स्थानः देहरादून — प्राधिकृत अधिकारीः हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने ली दो दिवसीय उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

पुलिस रेंज प्रभारी सहित सभी डीएम,-पुलिस कप्तानों ने दिया विस्तृत प्रस्तुतीकरण

भास्कर समाचार सेवा

2-13 अक्टूबर 2026 | देहरादून
with the
CEO, DEOs, SSPs, SPs and Head of Enforcement Agencies
& First Level Checking (FLC) of EVMs
October 12-13, 2026 | Dehradun
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
Chief Electoral Officer, Uttarakhand
विधानसभा चुनाव को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लेते निर्वाचन आयोग के अधिकारी।

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियों के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित उच्च स्तरीय दो दिवसीय समीक्षा बैठक का मंगलवार को समापन हो गया है। समीक्षा बैठक में दोनों मंडालयुक्त, पुलिस रेंज के प्रभारी, पुलिस स्टेट नोडल सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की 20 से अधिक प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने आयोग के प्रतिनिधिमंडल के सामने विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधिमंडल की ओर से वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग, महानिदेशक मीडिया आशीष गोयल, महानिदेशक आईटी सीमा खन्ना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के पहले दिन सभी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारियों,उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, जिला ईवीएम नोडल अधिकारियों को आयोग की तरफ से विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 के दृष्टिगत इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय जांच (ईवीएम-एफएलसी) कार्यशाला भी आयोजित की गई। इस दौरान अयोग की तरफ से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

मंगलवार को बैठक के दूसरे दिन सभी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारियों ने जनपद की चुनाव तैयारियों के सम्बंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। जिलों के पुलिस अधिकारियों ने फोर्स डिप्लायमेंट प्लान सहित अपराध एवं कानून व्यवस्था सम्बंधी प्रस्तुतीकरण दिया। भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने अब तक की तैयारियों के सम्बंध में संतोष प्रकट करते हुए सभी अधिकारियों को निर्धारित इलेक्शन प्लानर के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान अर्द्धसैनिक बल, आबकारी, जीएसटी, परिवहन, वन विभाग, एयपोर्ट अर्थारिटी ऑफ इंडिया,कस्टम सहित 21 एजेंसियों ने चुनाव तैयारियों के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में प्रधान सचिव भारत निर्वाचन आयोग एसबी जोशी, बीके पाठक, कुमांऊ मंडलायुक्त दीपक रावत, गढ़वाल मंडलायुक्त आनंद स्वरुप, आईजी निलेश आनंद भरणे, आईजी कुमांऊ रेंज नवेदिता कुकरेती, प्रभारी आईजी गढ़वाल रेंज विमि सचदेवा, स्टेट पुलिस नोडल आईजी कृष्ण कुमार वीके, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोदंडे सहित सभी डीएम, एसएसपी, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकरी प्रकाश चंद्र दुम्का, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तूदास मौजूद रहे।